पत्रांक–7/औषधि–07–01/2012– ५७ (7) ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सिविल सर्जन, कैमूर/सुपौल ।

पटना, दिनांक : 8-10-2012

विषयः मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड N2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, वेतन भत्ते मदों में कुल–₹ 15,06,000/–(पन्द्रह लाख छः हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या– 9(7)ब दिनांक–20.04.12, 30(7)ब दिनांक–27.06.12 एवं मांग पत्र के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल–₹ 15,06,000/–(पन्द्रह लाख छः हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक–18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड N2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–46(7) दिनांक 19.06.12 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि से किया जायेगा ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का हीं वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

8. राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

10. संबंधित सिविल सर्जन, आवंटित की गयी राशि का विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

8/10/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ५१३ (१) वि॰ पटना, दिनांक : 8-10-2012

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06 लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड N2210061040001 वित्तीय वर्ष 2012–2013 में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	कुल वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिविल सर्जन, कैमूर	270000	180900	40500	2700	1800	495900	1389/26.7.12
2	सिविल सर्जन, सुपौल	550000	368500	82500	5500	3600	1010100	707/11.6.12
	कुल योग:–	820000	549400	123000	8200	5400	1506000	

(पन्द्रह लाख छः हजार रूपये मात्र)

8/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01–01)	56856000	45611000	820000	46431000	10425000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	38093000	30558430	549400	31107830	6985170
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	8528000	6841650	123000	6964650	1563350
4	परिवहन भत्ता (01–05)	127000	14000	0	14000	113000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	509000	456090	8200	464290	44710
6	अन्य भत्ता (01–07)	282000	226045	5400	233445	48555
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**104395000**	**83709215**	**1506000**	**85215215**	**19179785**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	612000	306000	0	306000	306000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	550000	278000	0	278000	272000
10	दूरभाष (13–03)	20000	10000	0	10000	10000
11	विधि प्रभार (13–05)	1000000	440000	0	440000	560000
12	वर्दी / पोषाक (13–06)	50000	25300	0	25300	24700
13	प्रशिक्षण व्यय (20–03)	808000	808000	0	808000	0
14	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	200000	102000	0	102000	98000
15	दवा भंडार (21–02)	50000	25000	0	25000	25000
16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं (28–01)	100000	50000	0	50000	50000
17	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	300000	125500	0	125500	174500
	कुल योग	**109085000**	**85879015**	**1506000**	**87385015**	**21699985**

8/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

H9(7)द
8-10-2012